(107)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 969-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 11-02-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 27/अपील/2013-14

1-प्रदीपकुमार पिता माधवराव
2-दीपक पिता माधवराव
3-संदीप पिता माधवराव
निवासी नया मोहल्ला शाह बाजार,
बुरहानपुर म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

चम्पालाल पिता रूपा महाजन
निवासी रास्तीपुरा बुरहानपुर म0प्र0

.....अनावेदक

श्री बी0के0गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 30/11/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-02-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार तहसील बुरहानपुर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व पर ग्राम मोहम्मदपुरा में कृषि भूमि सर्वे

क्रमांक 698/4, 698/5, 698/6, 698/7 कुल रकबा 2.73 हेक्टेयर स्थित है । अनावेदक आवेदकगण का पडोसी काश्तकार होकर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नम्बर 702/4 स्थित होकर उक्त भूमि की पश्चिमी एवं पूर्वी दिशा की मेढ आवेदकगण की मेढ से लगी हुई है। आवेदकगण द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन करवाये जाने पर ज्ञात हुआ कि अनावेदक द्वारा आवेदकगण की भूमि सर्वे क्रमांक 698/6 पैकि रकबा 0.02 एकड़ भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है । अत: आवेदकगण को अनावेदक से सर्वे क्रमांक 698/6 पैकि रकबा 0.02 एकड़ भूमि का अनाधिकृत आधिपत्य वापस दिलाया जाये । इस आवेदन पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत दर्ज कर दिनांक 14-11-2011 को आदेश पारित कर आवेदकगण को लक्ष्मण पिता रूपा महाजन से ग्राम मोहम्मदपुरा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 698/5 के पूर्व दिशा की ओर पैकि रकबा 0.03 एकड़ भूमि का कब्जा दिये जाने का आदेश प्रदान किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27-7-2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11-02-2016 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये गये एवं अपील भी प्रचलन योग्य नहीं होने निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में इस बात का उल्लेख कर कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकगण के द्वारा अनावेदक चम्पालाल के विरूद्ध अनाधिकृत कब्जा दिलाये जाने की कोई कार्यवाही नहीं हुई परन्तु वस्तुत उत्तरदाता चम्पालाल एवं रूपा के विरूद्ध अलग अलग प्रकरण प्रस्तुत किये हैं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को देखे बगैर तथ्यों के विपरीत विधि के विपरीत व अभिलेख के विपरीत मनमाने रूप से उल्लेखित कर प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 11-2-2016 पारित कर त्रुटि की गई है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकगण के द्वारा उनके ग्राम मोहम्मदपुरा स्थित खेत खसरा नम्बर 698/5 पैकि रकबा 0.03 आरे के लिये लक्ष्मण पिता रूपा के विरूद्ध अलग कार्यवाही प्रस्तुत की है तथा उनके खेत खसरा नम्बर 698/6 के पैकि रकबा 0.02 आर के

कब्जा प्राप्ति के लिये उत्तरदाता चम्पालाल के लिये अलग कार्यवाही प्रस्तुत की है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त परिस्थिति को देखे बगैर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को देखे बगैर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(3) अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय ने जिन विधिक आधारों पर अपील में दिनांक 27-7-2013 को आदेश पारित किया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति के विपरीत आदेश दिनांक 11-2-2016 पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता कीधारा 250 के विपरीत आदेश पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उनके द्वारा तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश स्थिर रखे जाकर तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरण में यह आपत्ति ली कि जिस दिनांक को सीमांकन का आदेश पारित कियाहै उस प्रकरण में उस पेशी दिनांक का सूचना पत्र उसे प्राप्त नहीं हुआ अपितु उसे दिनांक 3-3-2007 का सूचनापत्र प्राप्त हुआ था परन्तु दिनांक 3-3-2007 को मौके पर सीमांकन की कार्यवाही नहींहुई और न कार्यवाही न होने संबंधी पंचनामा तैयार कियागया और न ही आगामी पेशी तिथि नियत की, किन्तु दिनांक 6-3-2007 को जो सीमांकन होना बताया है इस पेशी तिथि का सूचना पत्र अनावेदक को प्राप्त नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा मूल न्यायालय के समक्ष सीमांकन आदेश दिनांक 6-3-2007 को चुनौती दी गई प्रकरण के विचारण के दौरान अनावेदक के निवेदन पर आवेदकगण द्वारा यह स्वीकारोक्ति एवं सहमति दी कि आवेदकगण की संपत्ति का पुन: सीमांकन करवाया जावे इस सहमति के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 1-6-11 को मौके पर सीमांकन की कार्यवाही की गई, किन्तु पंचनामें पर अनावेदक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेखित किया गया कि अनावेदक द्वारा पुन: कराये गये सीमांकन दिनांक 1-6-2011 को चुनौती नहीं दी है इस कारण उक्त सीमांकन आदेश अंतिम हो चुका है । जिस समय मौके पर सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 1-6-2011 को

हो रही थी तब अन्य सर्वे नम्बर 690/5 रकबा 0.03 एकड़ पर अन्य व्यक्ति लक्ष्मण पिता रूपा महाजन द्वारा आवेदकगण के खेत पर अतिक्रमण किया होने का उल्लेख करते हुये अनावेदक एवं अन्य व्यक्ति लक्ष्मण पिता रूपा महाजन के अलग अलग खेतों का सीमांकन भी एक साथ किया गया ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदकगण द्वारा सीमांकन को चुनौती नहीं दी है इस कारण उक्त सीमांकन को चुनौती नहीं देने के कारण अनावेदक का सर्वे नम्बर 698/6 पैकि पूर्व दिशा के रकबे 0.02 एकड़ पर अनावेदक का कब्जा होनेका उल्लेख मानते हुये कब्जा हटाये जाने का जो आदेश पारित किया है वह विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत पारित नहीं किया होने से ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा भी उक्त आदेश की पुष्टि करने में भूल की गई थी इसलिये अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालयों में लक्ष्मण तथा चम्पालाल के विरूद्ध चले अलग अलग प्रकरणों का ठीक से अवलोकन न करते हुये यह मान लिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत व्यक्ति/ गलत भूमि पर आदेश पारित किया है, जबकि तथ्यों के परीक्षण से उनका उक्त निष्कर्ष सही नहीं है । प्रकरण में दो बार सीमांकन हुआ है जिसमें दोनों बार कब्जे की स्थिति पाई गई है । अपर आयुक्त के समक्ष तहसील न्यायालय/ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने के कोई योग्य आधार नहीं थे । अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-2-2016 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर